सीएस एससीजे १३७७/२२
हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन बनाम श्री चंपत सिंह ३०.०७.२०२४
उपस्थितः श्री उमेश कश्यप और श्री एन.के. जोशी, वादी के वकील।
डॉ. अतुल कुमार, संयुक्त सचिव वादी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

१. इस आदेश के तहत आज प्रतिवादी चंपत सिंह की ओर से दायर आदेश ७ नियम११ सीपीसी के तहत आवेदन पर फैसला किया जाएगा।
२. वर्तमान प्रतिवादी चंपत सिंह की ओर से दायर आवेदन के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी राष्ट्रीय सचिव गिरीश जुयाल ने स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान याचिका में यह कहते हुए दायर किया है कि प्रतिवादी चंपत सिंह जो वादी संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन का पूर्व राष्ट्रीय सचिव है और ०७.०२.२०२२ को ७० वर्ष की आयु पूरी करने पर वह भारत सरकार के नियम और आदेशानुसार राष्ट्रीय सचिव का पद धारण करने के योग्य नहीं है। भारत सरकार के आदेश संख्या एफ–४६–६/२०१६–एनपीवाईएडी दिनांक १६.०६.२०१७ के अनुसार और तदनुसार, २७.०२.२०२२ को आयोजित सस्था की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठक के माध्यम से हिन्दुस्तान स्काउटस ओर गाइडस के कार्यकारणी सदस्यों द्वारा नया राष्ट्रीय सचिव गिरीश जुयाल को नियुक्त किया गया था। यह आगे कहा गया है कि प्रतिवादी चंपत सिंह, उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के बावजूद, जानबूझकर और धोखे से खुद को वादी संस्था हिन्दुस्तान स्काउटस गाइडस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए, वर्तमान वाद याचिका दायर की गयीहै।
३. प्रतिवादी चंपत सिंह ने नियम ७ आर्ट ११ सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अधिकार की घोषणा की मांग किए बिना वर्तमान वाद कायम नहीं है। यह आगे कहा गया है कि प्रतिवादी चंपत सिंह ने घोषणा के लिए वाद दायर किया है जो कि एलडी एडीजे, रोहिणी कोर्ट के समक्ष लंबित है। यह आगे कहा गया है कि वर्तमान वाद वादी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के गलत पते के आधार पर दायर किया गया है। संदर्भ मामला एम. मल्लप्पा एवं अन्य भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित।
4. उक्त आवेदन के उत्तर में, वादी श्री गिरीश जुयाल द्वारा कहा गया है कि वादी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन ने पहले ही 01.10.2023 को 2023 से 2026 के कार्यकाल के लिए नियत चुनाव आयोजित किए हैं और प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने श्री गिरीश जुयाल को समाज के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया है। यह भी आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा वाद को खारिज करने के लिए दिए गए आधार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत सूचीबद्ध छह श्रेणियों में से किसी में नहीं आते हैं। इन प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की जाती है कि चंपत सिंह द्वारा दायर वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया जाए।
5. दलीलें सुनी गईं। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
6. कानूनन है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन का फैसला करते समय, अदालत को केवल वाद और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को देखने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, वादी श्री गिरीश जुयाल के दस्तावेजों से पता चलता है कि तत्कालीन राष्ट्रीय परिषद् और कार्यकारणी समिति की अवधि समाप्त होने के बाद 2023 से 2026 के कार्यकाल के लिए नियमानुसार चुनाव कराया गया है। इसके अलावा, वादी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन का यह मामला नहीं है कि जिस चुनाव २019 में प्रतिवादी चंपत सिंह को वादी समाज का राष्ट्रीय सचिव चुना गया था, वह अवैध रूप से आयोजित किया गया था। बल्कि, वादी ने दावा किया है कि प्रतिवादी ने 07.02.2022 को 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी और इसलिए, वह इस दिन से राष्ट्रीय सचिव का पद नहीं संभाल सकता है। इस प्रकार, जब वादी री गिरीश जुयाल ने पांच मई दोहजारउन्नीस को हुए चुनाव की वैधता के आधार पर वादी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन में राष्ट्रीय सचिव के रूप में प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती नहीं दी है, लेकिन 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद पर बने रहने की उनकी पात्रता पर सवाल उठाया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन को वर्ष 2019 में हुए चुनाव को शून्य और बेकार घोषित करने की राहत मांगने की आवश्यकता बनती थी।
7. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रतिवादी चंपत सिंह के वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाता है। प्रतिवादी चंपत सिंह को आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के तहत आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, साथ ही जवाब की अग्रिम प्रति विपरीत पक्ष श्री गिरीश जुयाल को भी दी जाती है।

18.11.2024 को आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के तहत आवेदन पर जवाब और बहस के लिए पेश किया जाएगा।

(Hindi translation by Dr.Atul Kumar)

NEHA MITTAL,
JSCC-cum-ASCJ-cum-GJ
North-West, Rohini Courts Delhi/30.07.2024